राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6070/2022

मिथिलेश कुमार शर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेडीए201113028807)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.11.2022
आदेश की दिनांक : 02.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उमेश व्यास, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी यूडीसी के पद पर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति सिकंदरा से पंचायत समिति सिकराय में किया गया है। उनका तर्क है कि सिकंदरा में यूडीसी के 3 पद है, जिनमें 2 पद रिक्त है तथा सिकराय में उपस्थित 3 पदों पर पहले से 2 यूडीसी कार्यरत है। अतः अपीलार्थी के स्थानांतरण से उसका वर्तमान स्थान पर पद रिक्त हो जायेगा। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी को स्थानांतरित करने का कोई भी उचित कारण नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यह नियोजक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **Rajendra Roy Vs. Union of India (1993) 1 SCC 148** में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> ***"It is true that the order of transfer often causes a lot of difficulties and dislocation in the family set up of the concerned employees but on that score the order of transfer is not liable to be struck down. Unless such order is passed mala fide or in violation of the rules of service and guidelines for transfer without any proper justification the Court and the Tribunal should not interfere with the order of transfer."***

4. प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया है। यह प्रत्यर्थी विभाग के विवेक पर निर्भर है कि उन्हें अपीलार्थी की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। उपरोक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के स्थानांतरण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
5. अतः यह अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(मातादीन शर्मा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)